

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-121/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० कविता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल (पकरीबरौवा), नवादा के द्वारा प्रथम प्रसव (जुडवाँ संतान) हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-16.05.2022 से 15.11.2022 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-16.05.2022 से 11.11.2022 तक	-	कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-12.11.2022 से 15.11.2022 तक	-	कुल-04(चार) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-121/2025- 49(2) पटना, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल (पकरीबरौवा), नवादा /कोषागार पदाधिकारी, नवादा/डा० कविता सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धमौल (पकरीबरौवा), नवादा को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. 8/1/26

सरकार के उप सचिव।

4